राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

यू0ओ0 नोट

विषयः– ई–बोली कमांक ID 2023_RSRTC_324180_1 दिनांक 13.03.2023 के संबन्ध में स्पष्टीकरण/युक्तिका (Reply) विवरण अपलोड करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निगम द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से 900 चालकों की सेवा अनुबन्ध पर लेने हेतु जारी ई–बोली कमांक ID 2023_RSRTC_324180_1 दिनांक 13.03.2023 के संबन्ध में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के कम में स्पष्टीकरण/युक्तिका (Reply) विवरण इस यू0 ओ0 नोट के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृपया निगम वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in व स्टेट पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करने का श्रम करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

उप महा प्रबन्धक (आई.टी.)
रा0रा0प0प0निगम, मुख्यालय जयपुर।
यू.ओ.नोट क्रमांकःएफ–5/मु./यां./सं.चा.(138)/23/233
दिनांक :– 28/03/23

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

निगम द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के माध्यम से 900 चालकों की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु दिनांक 13.03.23 को जारी निविदा के संबंध में दिनांकः–21.03.23 की प्रि बिड मिटिंग में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के संबन्ध में स्पष्टीकरण/युक्तियां विवरणः–

क्र. सं.	प्राप्त सुझाव	प्रस्तावित स्पष्टीकरण/युक्तियां टिप्पणी
1.	निविदा में 8000/–रू. प्रति वाहन चालक की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संबंधित आगार में जमा करवाने जा रही है तो मुख्यालय पर प्रतिभूति राशि 24 लाख रूपये अलग से क्यों जमा करवाई जा रही है ?	प्रतिभूति राशि 24 लाख रूपये फर्म द्वारा आदेशानुसार संबंधित आगारों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने एवं अनुबन्ध करने के उपरान्त फर्म द्वारा चाहे जाने पर उसे नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
2.	RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान अनुसार MSME में पंजीयन की प्रतिभूति राशि में छूट दी जावे।	RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के प्रावधान अनुसार MSME में पंजीयन की प्रतिभूति राशि में छूट हेतु वर्णित मदों में सेवा का कहीं कोई उल्लेख नही है।सेवा हेतु प्रतिभूति राशि में छुट का प्रावधान नही है।
3.	निविदा की शर्त संख्या–2 में संस्था को 1 वर्ष का 100 चालकों का कार्य अनुभव या कार्य आदेश गत 3 वर्षो के बजाय पिछले 8 से 10 वर्षो का माना जावे, जिससे अधिक अनुभव वाली संस्थाएं भाग ले सके।	निविदा की शर्त संख्या–2 में संस्था को अनुभव प्रमाण पत्र,गत 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में फर्म को न्यूनतम 100 चालक उपलब्ध कराने के कार्य आदेशों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4.	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष की जाती है।
5.	अनुबन्ध पत्र के शर्त संख्या 10 में निर्धारित मासिक वेतन राशि में वाहन चालक का पारिश्रमिक 9000/– के स्थान पर सैनिक कल्याण विभग द्वारा निर्धारित चालक को 16300/– किया जाना उचित होगा।	वर्तमान श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही वेतन निर्धारण किया गया है।
6.	अनुबन्ध पर लिये जाने वाले चालकों की कटौती नियमानुसार निगम के चालकों के अनुसार ही कटौती की जावे।	स्वीकार योग्य नही है।
7.	कटौती नियमानुसार की जाएं डीजल कटौती एवं एक्सीडेन्ट कटौती अलग से नहीं काटी जावे।	कटौतियां निगम नियमानुसार ही की जा रही है।
8.	पीएफ की दर विभाग द्वारा निर्धारित 12 प्रतिशत की जगह नियमानुसार 13 प्रतिशत दी जावे।	भविष्य निधि विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9.	ईएसआई की दर विभाग द्वारा निर्धारित 4.75 प्रतिशत की जगह नियमानुसार 3.25 प्रतिशत दी जावे।	ईएसआई की दर नियमानुसार दी जावेगी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

10.	श्रीमान निविदा की शर्त संख्या 17 की अनुपालना हेतु सस्था द्वारा न्यूनतम सर्विस चार्ज कम से कम 5 प्रतिशत अनीवार्य किया जावे।जैसा कि पूर्व में दिया जाता रहा है जिससे वाहन चालक को पूर्ण भगुतान सुनिश्चित हो सके।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है
11.	श्रम विभाग के नियमानुसार 26 दिन को एक माह मानते हुए भुगतान किया जावे तथा एक माह में चार साप्ताहिक अवकाश दिया जावे।	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार मजदूरी (पारिश्रमिक) दिया जायेगा।
12.	यह कि उक्त निविदा शर्त संख्या 1 में आपके द्वारा जो टर्न ओवर 3 करोड़ प्रतिवर्ष का मांगा गया है वह अत्यधिक है। क्योंकि कोरोना के कारण लगभग सभी फर्मों के कार्य प्रभावित हुए हैं। जिससे उनका टर्न ओवर नीचे आ गया है।	कोरोना काल को देखते हुए वाहन चालक बोली लगाने वाली पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति संस्था का गत पांच वर्षो में से किन्ही 03 वर्ष का वार्षिक टर्नऑवर औसतन 3 करोड रू. प्रतिवर्ष होना चाहिये।
13.	यह कि उक्त निविदा की शर्त संख्या 14 के अनुसार जो रूपये 1000/—प्रति चालक शासित है वह अत्यधिक है। उसके स्थान पर 100/—रूपये प्रति चालक किया जाना उचित रहेगा।	स्वीकार योग्य नही है।
14.	यह कि निर्धारित मासिक पारिश्रमिक के क्रम संख्या 4 में सर्विस चार्ज की दर स्पष्ट नहीं है इसमें बहुत परेशानी है। यहां स्पष्ट नहीं किया गया है कि शून्य/दशमलव/ऋणात्मक या नकारात्मक की कोई भी प्रतिशत भर सकता है।	आरटीपीपी नियमो के तहत पाबंदी नही लगाई जा सकती है
15.	टेण्डर के अनुसार यदि चालक के कारण मार्ग निरस्तीकरण,अधिक डीजल खपत,वाहन में टूट फूट एवं वाहन दुर्घटना होने पर वसूली हेतु वेरियेबल कोस्ट निर्धारित की जाये जिससे भविष्य में संस्था और चालक व कार्यालय के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं हो।	निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16.	राष्ट्रीय अवकाश 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर आदि को यदि कोई भी चालक कार्य करेगा तो क्या उसके एवज में उसे अन्य दिन रेस्ट दिया जायेगा या उसका अलग से भुगतान किया जायेगा।	श्रम कानून एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही की जावेगी।
17.	जो चालक आगार से बाहर अन्य आगारों में ड्यूटी के दौरान जाकर नाईट होल्ड करे उन्हे कम से कम 150 रूपये प्रति रात्रि विश्राम भत्ता दिया जाना चाहिये।	

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

उक्त के अलावा निविदा के निम्न दस्तावेजों में संशोधन किया जाता हैः—

1. ई बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023—24 के बोली संबंधित विवरण क्र.सं. 1,3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

क्र. सं.	पूर्व में वर्णित	संशोधन
1.	बोली लगाने वाली पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है तथा वाहन चालक उपलब्ध करवाने का 1(एक) वर्ष का अनुभव होने का प्रमाण पत्र व तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्नऑवर औसतन 3 करोड रू. होना चाहिये। यदि बोली लगाने वाला/ कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो, इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।	बोली लगाने वाली पजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है तथा वाहन 100 चालक उपलब्ध करवाने का गत पांच वर्षो में से किसी 1(एक)वर्ष का अनुभव होने का प्रमाण पत्र व तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। संस्था का गत पांच वर्षो में से किन्ही तीन वर्ष का वार्षिक टर्नऑवर औसतन 3 करोड रू. प्रतिवर्ष होना चाहिये। यदि बोली लगाने वाला/ कम्पनी/ संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो, इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।
3.	ई बोली आमंत्रण सूचना नोट के बिन्दू संख्या 03 बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलीयां खोली जाएंगी।	ई बोली आमंत्रण सूचना नोट के बिन्दू संख्या 03 में बोलीयां (निविदा) अवकाश के दिन भी खोली जा सकती है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

2. अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या 4,10,13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

शर्त सं.	पूर्व में वर्णित	संशोधित
4.	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
10.	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को देय एजेन्सी चार्जेज का प्रथम पक्ष द्वारा, प्रति चालक निम्नांकित निर्धारित दर से द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जावेगा में क्रम संख्या 2 पर पी.एफ.दर 12 प्रतिशत एवं 3 पर ईएसआई दर 4.75	द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चालकों को देय एजेन्सी चार्जेज का प्रथम पक्ष द्वारा, प्रति चालक पी.एफ एवं ईएसआई का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जावेगा।
13.	द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकर(जी.एस.टी.) 18 प्रतिशत (समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दरानुसार) देय होगा। द्वितीय पक्ष के देयक में से उक्त सेवाकर की निगम द्वारा कटौती की जा कर संवन्धित विभाग में निगम द्वारा जमा कराया जायेगा। द्वितीय पक्ष का सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजियन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।	द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकर(जी.एस.टी.) 18 प्रतिशत (समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दरानुसार) देय होगा। द्वितीय पक्ष के द्वारा सर्विस चार्ज पर वस्तु एवं सेवाकर(जी.एस.टी.) नियमानुसारं जमा करवाकर चालान की प्रति आगार के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा) द्वितीय पक्ष का सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजियन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

3. तकनीकी बोली प्रपत्र में क्र.सं. 12,13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.स.	पूर्व में वर्णित	संशोधित
12.	अनुभव प्रमाण पत्र (गत 3 वित्तिय वर्षो में किसी फर्म को न्यूनतम 100 चालक उपलब्ध कराने के कार्य आदेशों की प्रति)	अनुभव प्रमाण पत्र (गत 5 वर्षो में से किसी एक वर्ष में फर्म को न्यूनतम 100 चालक उपलब्ध कराने के कार्य आदेशों की प्रति)
13.	न्यूनतम टर्नऑवर गत 3 वित्तिय वर्षो में औसत 3 करोड़ रूपये (चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा विगत तीन वर्षो का ऑडिटेड विवरण पत्र)	न्यूनतम टर्नऑवर गत 5 वित्तिय वर्षो में से किन्ही 03 वर्ष में औसत 3 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष (चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र)

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न चैक लिस्ट पूर्ण कर अपलोड किया जावे।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

चैक लिस्ट

क्र.सं.	सम्बन्धित सूचना	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोलीदाता का नाम व पता		
2.	बोली दाता का ई मेल पता एवं फोन नं0 / मोबाईल नं0		
3.	बोली दाता का स्थानीय कार्यालय		
4.	बोली दस्तावेज शुल्क 1000/– रूपये		
5.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क 2500/–रूपये		
6.	बोली प्रतिभूति राशि 24,00,000/– रूपये		
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में रजि0 न0		
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में रजि0 न0		
9.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) नं0		
10.	आय कर (पेन नंबर)		
11.	संस्था को सरकार से प्रदत्त मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति		
12.	अनुभव प्रमाण पत्र (गत 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में फर्म को न्यूनतम 100 चालक उपलब्ध कराने के कार्य आदेशों की प्रति)		
13.	न्यूनतम टर्नऑवर गत 5 वित्तिय वर्षों में से किन्ही 03 वर्ष में औसत 3 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष (चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र)		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता –